13 मई, 2020 सरकारी आदेश 2020-37

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 35)

चूँकि, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, COVID -19 श्वसन प्रसारण से फैलती है और इन्फ्लूएंजा की तरह के लक्षण पेश करती है, और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the First Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को मैंने COVID-19 के घातीय प्रसार के परिणामस्वरूप इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the Second Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, चूंकि विषाणु यानि वायरस, संपूर्ण इलिनॉय में फैल चुका है, राज्य के सामने मौजूद संकट बढ़ चुका है और इसके लिए यह सुनिश्चित करने हेतु एक विकासशील प्रतिक्रिया आवश्यक है कि अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) और संघीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC) के लगातार अद्यतित किए जा रहे मार्गदर्शन के अनुरूप ढंग से सभी इलिनॉय वासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हों; और,

जबकि, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इलिनॉय राज्य के पास कोविड-19 (COVID-19) से पीड़ित, एवं अन्य रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त शैया क्षमता, आपूर्तियां, एवं प्रदाता हों; और

जबकि, इलिनॉय की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के पास देखभाल की आवश्यकता वाले सभी लोगों को देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो यह सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियां और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की राह की रुकावटें या बाधाएं हटाना आवश्यक है; और,

जबकि, इलिनॉय वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) तथा IDPH ने उद्घोषणाओं, आपातकालीन नियमों एवं परिवर्तनों के माध्यम से, निष्क्रिय और राज्य-से-बाहर के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को इलिनॉय राज्य में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए, उपाय किए हैं और वे लगातार उपाय कर रहे हैं; और,

जबकि, IDPH ने शैया क्षमता बढ़ाने और कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक स्तर की देखभाल प्रदान करने में अस्पतालों को समर्थ बनाने के उपाय किए हैं और वह लगातार उपाय कर रहा है; और,

जबकि, 16 मार्च, 2020 को, IDPH ने मार्गदर्शन जारी किया था जिसमें कोविड-19 (COVID-19) प्रतिक्रिया के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर से दबाव तत्काल हटाने के लिए सभी ऐच्छिक या ग़ैर-आकस्मिक सर्जरियों एवं कार्यविधियों को रद्द करने की अनुशंसा की गई थी; और,

जबकि, IDPH ने 11 मई, 2020 से प्रभावी होने वाला संशोधित मार्गदर्शन जारी किया था जिसमें अस्पतालों और सचल सर्जिकल उपचार केंद्रों को ऐच्छिक सर्जरियों एवं कार्यविधियों को दोबारा आरंभ करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते महामारीवैज्ञानिक रुझानों की निगरानी, क्षेत्रीय

अस्पताल उपयोग, अस्पताल की स्वयं की क्षमता, केस सेटिंग और प्राथमिकता-निर्धारण, कोविड-19 (COVID-19) के लिए शल्यक्रियापूर्व परीक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, संक्रमण एवं नियंत्रण कार्यविधियों, और सहयोग सेवाओं की उपलब्धता से संबंधित कुछ आवश्यकताओं, एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य के लोगों के सतत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए ऐच्छिक सर्जरियों और कार्यविधियों को दोबारा आरंभ करना महत्वपूर्ण है, और साथ-ही-साथ यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इलिनॉय के अस्पतालों में, यदि आवश्यक हो तो, कोविड-19 (COVID-19) रोगियों की नई लहर को समायोजित करने की क्षमता बनी रहे; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) रोगियों को उचित चिकित्सीय देखभाल मिले यह सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि अस्पताल और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां कोविड-19 (COVID-19) के आगमन स्वीकार करें, बशर्ते उनके पास कोविड-19 (COVID-19) रोगियों को उपचार देने हेतु आवश्यक क्षमता एवं योग्यता हो; और,

जबकि, IDPH ने आपातकालीन चिकित्सा प्रणालियों को कोविड-19 (COVID-19) रोगियों को समायोजित करने और उनके परिवहन एवं देखभाल हेतु तैयारी करने में सक्षम बनाने के उपाय किए हैं और लगातार कर रहा है; और,

जबकि, 9 अप्रैल, 2020 को IDPH ने दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को रोगियों को अपारंपरिक गंतव्यों, जैसे वैकल्पिक देखभाल इकाइयों, तक पहुंचाने हेतु तैयार होने का अनुरोध किया गया था; और,

जबकि, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट (IEMA अधिनियम), (20 ILCS 3305/6) का अनुभाग 6(c)(1) यह उपबंध करता है कि राज्यपाल (गवर्नर) ''राज्यपाल (गवर्नर) को प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं के अंदर इस अधिनियम के उपबंधों के पालन के लिए समस्त विधिसम्मत, आवश्यक आदेश, नियम, एवं विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने, एवं उन्हें निष्प्रभावी करने'' के लिए अधिकृत है; और,

जबकि, IEMA अधिनियम का अनुभाग 15, (20 ILCS 3305/15), यह उपबंध करता है कि ''न तो राज्य, राज्य का कोई भी राजनैतिक उप-संभाग, और न ही, सिवाय सकल उपेक्षा या स्वेच्छापूर्वक कदाचार के मामलोंे के, राज्यपाल (गवर्नर), निदेशक (डायरेक्टर), किसी राजनैतिक उप-संभाग का प्रधान कार्यकारी अधिकारी (प्रिंसिपल एक्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर), या उनमें से किसी के भी अभिकर्ता, कर्मचारी या प्रतिनिधि, जो इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अनुसरण में लागू किसी नियम या विनियम का अनुपालन करते समय या अनुपालन करने का प्रयास करते समय किसी आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया या बहाली गतिविधियों में संलग्न हों, उक्त गतिविधि के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें चोट/क्षति पहुंचने, या संपत्ति को क्षति के लिए दायित्वाधीन होंगे''; और,

जबकि, IEMA अधिनियम का अनुभाग 21(b), (20 ILCS 3305/21), यह उपबंध करता है कि ''इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्य, या राज्य के किसी राजनैतिक उप-संभाग के साथ एवं उसके निर्देशन के अधीन किसी अनुबंध के निष्पादन में रत कोई भी निजी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम (कॉर्पोरेशन) और उक्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम के कर्मचारी एवं अभिकर्ता, सिवाय स्वेच्छापूर्वक कदाचार की स्थिति में, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट/क्षति पहुंचने, या किसी संपत्ति को क्षति होने का कारण होने के लिए नागरिक (दीवानी) रूप से दायित्वाधीन नहीं होंगे''; और,

जबकि, IEMA अधिनियम का अनुभाग 21(c) , (20 ILCS 3305/21), यह उपबंध करता है कि ''किसी वास्तविक या आसन्न आपदा के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य, या राज्य के किसी राजनैतिक उप-संभाग को सहायता या सलाह देने वाला कोई भी निजी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम (कॉर्पोरेशन) और उक्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम का कोई भी कर्मचारी या अभिकर्ता, सिवाय स्वेच्छापूर्वक कदाचार की स्थिति में, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट/क्षति पहुंचने, या किसी संपत्ति को क्षति होने का कारण होने के लिए नागरिक (दीवानी) रूप से दायित्वाधीन नहीं होंगे''; और,

जबकि, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस, EMS) प्रणालियां अधिनियम का अनुभाग 3.150(a), (210 ILCS 50/3.150), यह उपबंध करता है कि वे व्यक्ति ''जो जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट [ऑफ़ पब्लिक हेल्थ] द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान सदाशयता से [] आपातकालीन या ग़ैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सामान्य क्रम में, या किसी आपातकाल में, उक्त सेवाएं प्रदान करने में उनके कृत्यों या लोपों के लिए नागरिक (दीवानी) रूप से तब तक दायित्वाधीन नहीं होंगे जब तक कि उक्त कृत्य या लोप, जिनमें इस अधिनियम के अनुसरण में विकसित प्रोटोकॉल्स के अनुरूप आस-पास के अस्पतालों या चिकित्सा इकाइयों को छोड़ देना (बायपास कर देना) शामिल है, स्वेच्छापूर्वक एवं निर्दयतापूर्ण कदाचार का गठन न करते हों''; और,

जबकि, नेक मानव अधिनियम (गुड समैरिटन एक्ट), (745 ILCS 49), यह उपबंध करता है कि ''दूसरों की सहायता के लिए स्वेच्छा से अपना समय एवं प्रतिभा प्रदान करने वाले उसके नागरिकों'', विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, ''के उदार एवं दयावान कृत्यों'' को नागरिक (दीवानी) दायित्व से छूट मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वे कृत्य स्वेच्छापूर्वक या निर्दयतापूर्ण कदाचार न दर्शाते हों; और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और IEMA अधिनियम, (20 ILCS 3305) के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(12), 15, और 21 के अनुसरण में, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के लिए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

(a) ''अस्पताल'' का अर्थ अस्पताल अनुज्ञापन अधिनियम (हॉस्पिटल लाइसेंसिंग एक्ट), (210 ILCS 85), या इलिनॉय विश्वविद्यालय अस्पताल अधिनियम (यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलिनॉय हॉस्पिटल एक्ट), (110 ILCS 330) द्वारा अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) या स्वीकृत इकाइयों से है।

(b) ''स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां'' का अर्थ है:

i. किसी राज्य अभिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त, प्रमाणित, या अनुमोदित और निम्नलिखित द्वारा कवर होने वाली इकाइयां: 77 इलि. (Ill.) प्रशासनिक कोड (1130.215(a), (c)-(f)); (210 ILCS 3/35); वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी अधिनियम (ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर डिलीवरी एक्ट), (2 ILCS 4(210)-(50)); आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (EMS) प्रणाली अधिनियम (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस (EMS) सिस्टम्स एक्ट), (20 ILCS 2805); या पूर्वसैनिक कार्य विभाग अधिनियम (डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटरन्स अफ़ेयर्स एक्ट), (20 ILCS 2805);

ii. राज्य-संचालित विकासात्मक केंद्र (डेवलपमेंटल सेंटर्स) जो संघीय मेडिकेयर एवं मेडिकएड सेवा केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेस) द्वारा प्रमाणित हैं, और लाइसेंसशुदा, राज्य-संचालित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (मेंटल हेल्थ सेंटर्स) जिनका गठन मानसिक स्वास्थ्य एवं विकासात्मक अशक्तताएं प्रशासनिक अधिनियम (मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट), (20 ILCS 1705/4) के अनुसरण में किया गया है;

iii. लाइसेंसशुदा समुदाय-एकीकृत जीवन-यापन व्यवस्थाएं, जैसी कि समुदाय-एकीकृत जीवन-यापन व्यवस्थाएं अनुज्ञापन एवं प्रमाणन अधिनियम (कम्युनिटी-इंटिग्रेटेड लिविंग अरेंजमेंट्स लाइसेंशुअर एंड सर्टिफ़िकेशन एक्ट), (210 ILCS 135/2) में परिभाषित हैं;

iv. लाइसेंसशुदा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स), जैसे कि सामुदायिक सेवाएं अधिनियम (कम्युनिटी सर्विसेस एक्ट), (405 ILCS 30) में परिभाषित हैं;

v. सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (सोशल सिक्यॉरिटी एक्ट), (42 U.S.C. § 1396d(l)(2)(B)) के अंतर्गत संघीय रूप से अर्ह स्वास्थ्य केंद्र;

vi. IDPH द्वारा अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) वैकल्पिक देखभाल इकाइयां;

vii. इलिनॉय सार्वजनिक सहायता संहिता (पब्लिक एड कोड), (305 ILCS 5/5-5.01(a)) के अनुसरण में इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फ़ैमिली सर्विसेज़) द्वारा प्रमाणित सहयोगी निर्वाह इकाइयां; और,

viii. सहायित निर्वाह एवं साझा आवास अधिनियम (असिस्टेड लिविंग एंड शेयर्ड हाउसिंग एक्ट), (210 ILCS 9) के अनुसरण में IDPH से अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त सहायित निर्वाह स्थापनाएं एवं साझा आवास स्थापनाएं।

''स्वास्थ्य देखभाल इकाई'' एकवचन रूप है और इसका बहुवचन रूप ''स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां'' है।

(c) ''स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर'' का अर्थ उन सभी लाइसेंसशुदा या प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों या आपातकालीन चिकित्सा सेवा कर्मियों से है जो (i) कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल इकाई में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं; या (ii) जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, IMEA) या IDPH के निर्देशाधीन कार्य कर रहे हैं।

(d) ''स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी'' का अर्थ उन सभी स्वयंसेवियों या चिकित्सा या नर्सिंग विद्यार्थियों से है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो (i) कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल इकाई में सेवाएं,

सहयोग, या समर्थन प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं; या (ii) जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IMEA या IDPH के निर्देशाधीन कार्य कर रहे हैं।

अनुभाग 2. IEMA अधिनियम के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), (20 ILCS 3305/15) एवं 21(b)-(c) तथा नेक मानव अधिनियम (गुड समैरिटन एक्ट), (745 ILCS 49), के अनुसरण में, मैं समस्त अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, और स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवियों को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) द्वारा मान्यता प्राप्त आपदा (कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप) पर राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश देता हूं।

(a) अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां।

i. अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के लिए, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" में शैया संख्या बढ़ाना, कार्यरत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का संरक्षण करना और उन्हें उचित ढंग से काम में लाना, व्यापक परीक्षण करना, और कोविड-19 (COVID-19) रोगियों को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने एवं कोविड-19 (COVID-19) का आगे और प्रसार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना जैसे उपाय शामिल होना आवश्यक है।

ii. ऐच्छिक सर्जरियां या कार्यविधियां करने वाले अस्पतालों के लिए, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" में ऐच्छिक सर्जरियां एवं कार्यविधियां करने के संबंध में IDPH के वर्तमान मार्गदर्शन का अनुपालन करना भी शामिल होना आवश्यक है।

iii. अस्पतालों द्वारा "सहायता प्रदान किए जाने" में, ऐसे किसी अन्य अस्पताल, जिनमें अस्पताल में भर्ती रोगी (इन-पेशेंट) शामिल हैं, और राज्य-संचालित इकाइयों से (सामूहिक रूप से, "प्रेषक इकाइयां") किसी भी कोविड-19 (COVID-19) रोगी का स्थानांतरण स्वीकार करना शामिल होना चाहिए जिनके पास उस कोविड-19 (COVID-19) रोगी को उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक क्षमता एवं योग्यता नहीं है। ग्राही अस्पताल किसी भी कोविड-19 (COVID-19) रोगी के उक्त स्थानांतरण को स्वीकार करेगा बशर्ते उसके पास कोविड-19 (COVID-19) रोगी को उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक पर्याप्त क्षमता एवं योग्यता हो। किसी अस्पताल के पास कोविड-19 (COVID-19) रोगी को उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक पर्याप्त क्षमता एवं योग्यता है या नहीं इसका निर्धारण करने में, अस्पताल, न्यूनतम तौर पर, वर्तमान IDPH के मार्गदर्शन की अनुरूपता में सुरक्षित एवं प्रभावी उपचार प्रदान करने की अपनी योग्यता, और उपलब्ध आपूर्तियों, स्टाफ़, एवं ICU और चिकित्सा / शल्यक्रिया क्षमता को विचार में लेगा।

iv. स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के मामले में, "सहायता प्रदान करने" में IDPH के वर्तमान मार्गदर्शन एवं अनुशंसाओं की अनुरूपता में (1) कोविड-19 (COVID-19) के लिए निवासियों का व्यापक परीक्षण करना और कर्मचारियों का नियमित परीक्षण करना, और (2) किसी अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल इकाई से स्थानांतरित किए गए या छुट्टी पाए कोविड-19 (COVID-19) रोगियों को स्वीकार करना भी शामिल होना आवश्यक है।

(b) स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के मामले में, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" का अर्थ कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल इकाई में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने, या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IEMA या DPH के निर्देशाधीन कार्य करने से है।

(c) स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवियों के मामले में, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" का अर्थ कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल इकाई में सेवाएं, सहायता, या समर्थन प्रदान करने, या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IEMA या DPH के निर्देशाधीन कार्य करने से है।

अनुभाग 3. IEMA अधिनियम (एक्ट) के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), (20 ILCS 3305/15) एवं 21(b)-(c) के अनुसरण में, मैं यह निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के प्रभावी रहने के दौरान, कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने के लिए समस्त ऐच्छिक सर्जरियां या कार्यविधियां रद्द या स्थगित बनाए रखने वाले अस्पताल, या उक्त अस्पताल में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, कथित रूप से अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंची किसी ऐसी चोट/क्षति या हुई ऐसी मृत्यु के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्त रहेंगे जो ऐसे समय पर पहुंची या हुई हो जब अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर IDPH द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शन की अनुरूपता में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के द्वारा

कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने में राज्य को सहायता प्रदान कर रहा हो। यदि यह सिद्ध हो जाए कि उक्त चोट या मृत्यु का कारण, यदि (20 ILCS 3305/15) लागू है तो उक्त अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा सकल उपेक्षा या स्वेच्छापूर्वक कदाचार है, या यदि (20 ILCS 3305/21) लागू है तो उक्त अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा स्वेच्छापूर्वक कदाचार है, तो यह अनुभाग लागू नहीं होगा।

अनुभाग 4. IEMA अधिनियम (एक्ट) के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), (20 ILCS 3305/15) एवं (21(b)-(c)) के अनुसरण में, मैं यह निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के प्रभावी रहने के दौरान, 11 मई, 2020 को या उसके बाद से आरंभ करते हुए, ऐच्छिक सर्जरियां या कार्यविधियां करने वाले अस्पताल, या उक्त अस्पताल में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, कथित रूप से अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंचने/होने वाली और कोविड-19 (COVID-19) के निदान, संचार या उपचार से संबंधित किसी भी ऐसी चोट/क्षति या मृत्यु के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्त रहेंगे जो ऐसे समय पर पहुंची या हुई हो जब अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर IDPH द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शन की अनुरूपता में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के द्वारा कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने में राज्य को सहायता प्रदान कर रहा हो। यदि यह सिद्ध हो जाए कि उक्त चोट या मृत्यु का कारण, यदि (20 ILCS 3305/15) लागू है तो उक्त अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा सकल उपेक्षा या स्वेच्छापूर्वक कदाचार है, या यदि (20 ILCS 3305/21) लागू है तो उक्त अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा स्वेच्छापूर्वक कदाचार है, तो यह अनुभाग लागू नहीं होगा।

अनुभाग 5. IEMA अधिनियम (एक्ट) के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), (20 ILCS 3305/15) एवं (21(b)-(c)) के अनुसरण में, मैं यह निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के प्रभावी रहने के दौरान, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, या उक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, कथित रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंचने/होने वाली और कोविड-19 (COVID-19) के निदान, संचार या उपचार से संबंधित किसी भी ऐसी चोट/क्षति या मृत्यु के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्त रहेंगे जो ऐसे समय पर पहुंची या हुई हो जब अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर IDPH द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शन की अनुरूपता में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के द्वारा कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने में राज्य को सहायता प्रदान कर रहा हो। यदि यह सिद्ध हो जाए कि उक्त चोट या मृत्यु का कारण, यदि (20 ILCS 3305/15) लागू है तो उक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविध या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा सकल उपेक्षा या स्वेच्छापूर्वक कदाचार है, या यदि (20 ILCS 3305/21) लागू है तो उक्त अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा स्वेच्छापूर्वक कदाचार है, तो यह अनुभाग लागू नहीं होगा।

अनुभाग 6. IEMA अधिनियम के अनुभाग 21(c), (20 ILCS 3305/21(c)), और नेक मानव अधिनियम (गुड समैरिटन एक्ट), 745 ILCS 49 के अनुसरण में, मैं निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के प्रभावी रहने के दौरान, इस कार्यकारी आदेश के अनुभाग 1 में यथा परिभाषित कोई भी स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी, कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया में सेवाएं, सहायता, या समर्थन प्रदान करने के द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करने के क्रम में कथित रूप से उक्त स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंची किसी चोट/क्षति या हुई मृत्यु के लिए दायित्व से मुक्त रहेगा, बशर्ते कि IDPH द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शन के अनुरूप सेवाएं, सहायता या समर्थन प्रदान की गई हों। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त चोट/क्षति या मृत्यु का कारण उक्त स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी का स्वेच्छापूर्वक कदाचार था तो यह अनुभाग लागू नहीं होगा।

अनुभाग 7. इस कार्यकारी आदेश में शामिल किसी भी बात का अर्थ नागरिक (दीवानी) दायित्व से किसी भी लागू छूट, जो किसी अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल इकाई, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, या स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी के लिए उपलब्ध है, को प्रतिस्थापित या सीमित करने में नहीं लिया जाएगा।

अनुभाग 8. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 13 मई, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 13 मई, 2020